

**प्रारूप एस.एस.पी. I**  
**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र**



(संबंधित पर ✓ का निशान लगाये)

- पेंशन का प्रकार**  
आवेदक के निवास क्षेत्र का विवरण  
जिला  
तहसील/पंचायत समिति  
ग्राम/वार्ड/कस्बा/शहर  
विधानसभा क्षेत्र  
लोकसभा क्षेत्र
- आवेदक का नाम एवं आधार कार्ड संख्या
  - पुरुष या स्त्री
  - पिता या पति का नाम
  - धर्म
  - व्यवसाय
  - पति की मृत्यु/परित्यक्ता प्रमाण पत्र की तिथि (विधवा/परित्यक्ता पेंशन के प्रकरण में)
  - निशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (प्राधिकृत चिकित्सक बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (निशक्तता पेंशन के प्रकरण में)
  - पूरा पता
  - जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीख को आयु) (उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है)
  - पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प
  - आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण  
(i) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता  
बचत खाता संख्या
  - पहचान चिन्ह
  - बी.पी.एल. विवरण  
(i) बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष  
(ii) बी.पी.एल. का स्थान  
(iii) बी.पी.एल. फैमिली आई.डी.  
(iv) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी.
  - आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आयु  
(क) पिता  
(ख) माता  
  
(ग) पति/पत्नी  
दिम्पणी :-

वृद्धावस्था,  विधवा/परित्यक्ता  विशेष योग्यजन

पुरुष  स्त्री

जाति :

-  -

अंधता  कुष्ठ रोग मुक्त  श्रवण शक्ति हास  चलन निशक्तता,  
 मानसिक मंदता,  कम दृष्टि,  मानसिक रुग्णता  
 प्रतिशत

पिनकोड

-  -  आयु :  वर्ष  माह

नकद  मनीऑर्डर  डाकघर बचत खाता  
 बैंक बचत खाता

-

1 ..... 2 ..... 3

नाम :

आयु :

वर्ष  
 वर्ष

वर्ष

(i) केवल सुसंगत मर्दों को ही आयु सहित भरा जाय। विसंगत मर्दों को काट

दिया जाय।

15. क्या संबंधी/संबंधियों के कोई आय अथवा आय का कोई स्रोत है? (हाँ/नहीं)

16. क्या कोई भी संबंधी लगातार लापता है? (हाँ/नहीं) यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु, तारीख जिससे लापता हो)

17. क्या कोई सम्बन्धी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया है (हाँ/नहीं), का विवरण?

(क) पिता

(ख) माता

(ग) पति/पत्नी

18. मतदाता पहचान पत्र संख्या

19. श्रेणी

20. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर

21. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर

मो./ले.ला. धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध

22. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ

(क) (i) मेरे पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा मेरे पास जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नहीं है।

(ii) मैं ..... रु. प्रति मास ..... (सरकारी विभाग/निजी निकाय/संस्थान या अन्य स्रोत का नाम लिखें) से, पी.पी.ओ. संख्या ..... आदेश संख्या ..... के द्वारा पेंशन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/कर रही हूँ।

(ख) मैंने पूर्व में वार्धक्य/विधवा/परित्यक्ता/विशेष योग्यजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है/नहीं किया है। (यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या वह ली है या अस्वीकृत कर दिया गया है)।

(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गत 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ।

(घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमत्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है।

(ङ) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(असंगत मदों को काट दिया जाये)

स्थान : .....

दिनांक :  -  -

(ii) विशेष योग्यजन पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता और पिता का विवरण दिया जाना है।

हाँ  नहीं

हाँ  नहीं

नाम : .....

आयु  -  -

हाँ  नहीं

नाम :

आयु :

वर्ष  
 वर्ष

वर्ष

राशनकार्ड संख्या :

सामान्य,  ओ.बी.सी.,  एस.सी.,  एस.टी.,  अल्प संख्यक

मो.

ले.ला.

मो.

ले.ला.

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर  
या दायें/बायें अंगूठे का  
निशान

23. प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र संसद या विधानसभा नगर परिषद/नगर पालिका बोर्ड निगम के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख या राज्य अथवा केन्द्र के राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

मैं श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... को गत ..... वर्षों से जानता हूँ।  
उसके पहचान के चिन्ह नीचे दिये जा रहे हैं।

1. ....

2. ....

यह स्वस्थ चित्त/विक्षिप्त है।

इस आवेदन में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक : .....

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति  
के हस्ताक्षर और पद नाम और पूरा पता

टिप्पणी :-

- (1) यदि पेंशनर विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा लगाने में असमर्थ हो तो पेंशनर का पेंशन द्वारा भरण पोषण करने का जिम्मा लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (2) संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सन्विक रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट के आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें।

